संख्या-135/2017/2148/22-2-2016-17(239)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,

संयुक्त सचिव

उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 07 मार्च, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामकुमार उर्फ दुधाना पुत्र श्री खग्गू, निवासी जनपद-कानपुर नगर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34860/प्रोबेशन-3/(एम-06-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामकुमार उर्फ दुधाना पुत्र श्री खग्गू, निवासी ग्राम-बहेटा गम्भीरपुर, थाना-घाटमपुर, जनपद-कानपुर नगर का रहने वाला है। दिनांक 04.08.1989 को 01.15 बजे दिन में बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टा, फरसा व कुल्हाडी से विपक्षी शिवकुमार के टुकडे करके उसकी लाश को नहर में फेंक दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-327/1989 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-147,148,302/201/34,307 के अन्तर्गत मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कानपुर देहात द्वारा दिनांक 20.11.1992 को मृत्यु दण्ड से दण्डित किया गया, जिसके विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में योजित क्रिमिनल अपील संख्या-2062/1992 में मा0 उच्च् न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.04.1994 द्वारा मृत्यु दण्ड को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी के 03 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है तथा 01 सहअभियुक्त फरार चल रहा है। बन्दी द्वारा दिनांक 24.11.2015 तक 26 वर्ष 02 माह 19 दिन की अपरिहार तथा 33 वर्ष 05 माह 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्दी द्वारा हत्या जैसा अपराध कारित किया गया है जो व्यापक अपराध की श्रेणी में आता है, बन्दी द्वारा बदला लेने की नियतन से अपराध करने की पूर्ण सम्भावना है, बन्दी व उसके विपक्षियों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। समयपूर्व मुक्ति से संगीन घटना घटित होने एवं बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी द्वारा मकदमें की पुरानी रंजिश में प्राईमरी पाठशाला में मीटिंग करके 03 सहअभियुक्त के साथ मिलकर कट्टा, फरसा व कुल्हाडी से विपक्षी शिव कुमार के टुकड़े करके उसकी हत्या कर लाश को नहर में फेकने का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 58 वर्ष है। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी शारीरिक रूप से स्वस्थ है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रामकुमार उर्फ दुधाना पुत्र श्री खग्गू, निवासी जनपद-कानपुर नगर को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी रामकुमार उर्फ दुधाना(बन्दी संख्या-15284/93) पुत्र श्री खग्गू निवासी जनपद-कानपुर नगर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-135/2017/2148(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-2148/2017/2148/22-2-2016-17(239)/2016

दिनांक 07 मार्च, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामकुमार उर्फ दुधाना पुत्र श्री खग्गू, निवासी ग्राम-बहेटा गम्भीरपुर, थाना-घाटमपुर, जनपद-कानपुर नगर का रहने वाला है। दिनांक 04.08.1989 को 01.15 बजे दिन में बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टा, फरसा व कुल्हाडी से विपक्षी शिवकुमार के टुकडे करके उसकी लाश को नहर में फेंक दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-327/1989 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-147,148,302/201/34,307 के अन्तर्गत मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कानपुर देहात द्वारा दिनांक 20.11.1992 को मृत्यु दण्ड से दण्डित किया गया, जिसके विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में योजित क्रिमिनल अपील संख्या-2062/1992 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.04.1994 द्वारा मृत्यु दण्ड को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी के 03 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है तथा 01 सहअभियुक्त फरार चल रहा है। बन्दी द्वारा दिनांक 24.11.2015 तक 26 वर्ष 02 माह 19 दिन की अपरिहार तथा 33 वर्ष 05 माह 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्दी द्वारा हत्या जैसा अपराध कारित किया गया है जो व्यापक अपराध की श्रेणी में आता है, बन्दी द्वारा बदला लेने की नियतन से अपराध करने की पूर्ण सम्भावना है, बन्दी व उसके विपक्षियों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। समयपूर्व मुक्ति से संगीन घटना घटित होने एवं बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी द्वारा मकदमें की पुरानी रंजिश में प्राईमरी पाठशाला में मीटिंग करके 03 सहअभियुक्त के साथ मिलकर कट्टा, फरसा व कुल्हाडी से विपक्षी शिव कुमार के टुकड़े करके उसकी हत्या कर लाश को नहर में फेकने का जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 58 वर्ष है। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी शारीरिक रूप से स्वस्थ है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रामकुमार उर्फ दुधाना पुत्र श्री खग्गू, निवासी जनपद-कानपुर नगर को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in